XXX Part-21

2/06/14
11/9/14

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **02/41/01/18603/14**

यह प्रमाणित किया जाता है कि सावंलदास गुप्ता शिक्षा समिति शिवपुरी समिति जो 01 झोडला वनस्थली पो0बी0 473551 तहसील षिवपुरी जिला षिवपुरी में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 11/09/2014 को पंजीयित की गई है।

दिनांक ग्यारह माह सितम्बर सन् **2014**

समितियों के रजिस्ट्रार
(कमला पुरकाम)
अति0 रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं
ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

AR/1126/15
8/6/15

मध्यप्रदेश शासन

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, म0प्र0

कार्यालय,असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं,डी-40 बसंत बिहार कालोनी, ग्वालियर (मप्र)

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन

पत्र

आवेदन क्रमांक:- :- S1[illegible]50101388727082014

1. सोसायटी का नाम मावलदास गुप्ता शिक्षा समिति शिवपुरी होगा।

2. सोसायटी का कार्यालय 01 होटल वनस्थली ए.बी. रोड 473551 तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित होगा।

3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

क्रमांक	उद्देश्य
	शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा हिंदी , उर्दू , फारसी ,अंग्रेजी, संस्कृति आदि, माध्यमो मे क्षेत्रीय भाषा एवं, बोली में शिक्षा देने हेतु मदरसा , पूर्व , प्राथमिक, माध्यमिक , उन्नतर माध्यमिक विद्यालय , महाविद्यालय , कम्प्यूटर कोर्से कंप्यूटर सोफ्टवेयर , हार्डवेयर प्रशिक्षण एवं कॉलेज व संस्थान का संचालन करना . अल्पसंख्यको के लिए शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना . अल्पसंख्यक योजनाओ का प्रचार प्रसार करना. जन अभियान परिषद् के अंतर्गत कार्यक्रमों का कियान्वियन करना. बेटी बचाओ अभियान एवं महिला उत्पीडन निवारण हेतु प्रयास. गरीब जरुरतमंद विधवा साधनहीन व अपाहिज की लड़की की शादी करवाना गरीब व साधनहीन मृतक के अंतिम संस्कार हेतु सहयोग करना,जन स्वास्थ्य हेतु कार्य करना गरीब जनता के लिए जन उपयोगी व्यवस्था करना. जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना. कुपोषण कार्यक्रम का संचालन करना,कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना. संस्कृत विद्यालय , वेद वेदांत विद्यालय ,संस्कृत कॉलेज खोलना सामूहिक विवाह सम्मेलन करना. रक्त दान शिविर आयोजित करना तथा रक्त दान के बारे में जागरूक करना.रंगभेद ,जातिवाद के उन्नमूलन के लिए कार्य करना,प्राकृतिक आपदा के समय जन कल्याण कार्य करना.

2	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश से एवं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सी. बी. एस. ई.), आई.सी. एस .ई. / शासन / विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय, महाविद्यालय,शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डी.एड.,बी.एड.,एम.एड., डी.फार्मा.,बी.फार्मा., एम.फार्मा., फार्मा.डी.,पी.जी.डी.सी.ए.,डी.सी.ए.,एम .सी.ए.,बी.सी.ए. बी.बी.ए. एम.बी.ए.,आई.टी.आई एवं पोलिटेक्निकल एवं .,नर्सिंग कॉलेज ए.एन.एम.,जी.एन.एम.,पोस्ट.बेसिक नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग.एम.एस.सी.नर्सिंग, पेरामेडिकल कोर्स, तथा सभी पैथी के चिकित्सा महाविद्यालय , शिक्षा प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण,केन्द्रों का संचालन करना , कम्प्यूटर सॉफ्टवेर एवं हार्डवेयर प्रशिक्षण देना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्से का संचालन करना, इंजिनीयरिंग टेक्निकल व टेक्नोलॉजी की उच्च शिक्षा हेतु इंजिनीयरिंग महाविध्यालय, का संचालन करना तथा विधि शिक्षा , व्यवसायिक उच्च शिक्षा , कॉलेज का संचालन करना , एलोपेथी आयुर्वेदिक,होम्योपेथी,प्राकर्तिक चिकित्सा,यूनानी चिकित्सा आदि कॉलेजो का संचालन करना, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अध्यन केन्द्रों का संचालन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमो का संचालनकरना . शोध संस्थानों का संचालन करना कोचिंग , इंस्टिट्यूट का करना. झूला घर का संचालन करना रेड क्रोस सोसाइटी का सहयोग करना संचालन तथा करियर काउंसिलिंग कार्यक्रम का संचालन करना. गौ शाला खोलना पशु चिकित्सालय का संचालन करना. राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं नेशनल ओपन स्कूल के शिक्षण केन्द्रों का संचालन
3	सिलाई कढ़ाई हेंडीक्राफ्ट पेंटिंग , दस्तकारी , बुनाई, टाइपिंग कम्प्यूटर कोर्से , संगीत एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना . महिलाओं के उत्थान हेतु जागरूकता शिविर प्रोढ़ शिक्षा केंद्र एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण केंद्र तथा महिला प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना . शिशुओ के सर्वांगीण विकास हेतु पालना घर , बाल मनोरंजन केंद्र बाल वाचनालय , शिशु गृह तथा अनाथ आश्रम का संचालन करना अंधे , लंगड़े , लूले बहरे , मूक बधिर , शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगो व् नेत्रहीन शारीरिक रूप से कमजोर निराश्रित अनाथ के लिए शिक्षण शिक्षण केंद्र , छात्रावास , संचालित करना व् पंचायत एवं समाज सेवा के अंतर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना तथा परामर्श केंद्र का संचालन करना . आर्ट ऑफ़ लिविंग के द्वारा जनमानस का कल्याण करना, ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज की भावनायो के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिए कार्य करना एवं ग्रामीण विकास हेतु पठन प्रशिक्षण,हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना, परिवार नियोजन,फॅमिली प्लानिंग कार्यक्रम,बाल योन अनुपात कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम का संचालन तथा एड्स,कैंसर,पोलियो,टी.बी.,हेपेटाईटिस पीलिया तथा माताओ एवं शिशुओ के स्वास्थ्य कल्याण एवं टीकाकरण की जानकारी एवं नेत्र शिविर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन व स्वास्थ्य शिक्षा योन शिक्षा बालश्रम स्कूलों का संचालन करना, स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करना, डेंटल कैंप लगाना, आम जन को सहज भाव से कॉन्डम गर्भ निरोधक गोलिया उपलब्ध कराना.नि शुल्क दवा वितरण करना स्तन कैंसर कि रोकथाम हेतु कार्यक्रम करना
4	पीड़ित प्रताड़ित विधवा निराश्रित विकलांग एवं जरूरतमंद तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यक महिलाओ को तथा जरूरतमंद व् गरीबो को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना, नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना ,परामर्श केंद्र खोलना एवं वृद्धाश्रम संचालित करना,केयर यूनिट वो ड्रग्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं सलाह देना व बढ़ती हुई नशा प्रवर्ती की रोकथाम हेतु कार्य करना व समाज में व्याप्त बुराइयो को दूर करने के लिए कलामंदी के माध्यम से सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना, हॉस्पिटल खोलना एवं उसका संचालन करना समाज के पिछड़े/अ.जा..अ.ज .जा. के बालक/ बलिकायो एवं सामान्य जन के नेत्र शिविरों का संचालन करना नेत्र दान करना स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना.वाचनालय एवं पुस्तकालय का संचालन करना.हस्तशिल्प शिखाना तथा हथकरधा बुनाई केन्द्रों का संचालन करना. जन कल्याण एवं मानव स्वास्थ्य सम्बंधित सभी पेथोलोगिकल जाचे एक्स रे ,अल्ट्रासाउंड ,एम.आर.आई.,सिटी स्कैन आदि की जाचे उपलब्ध कराना.गरीब असहाय लोगो को चिकित्सीय परामर्श एवं दवा का प्रबंध कराना एवं सम्पूर्ण चिकित्सीय व्यवस्थाये कराना.ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य सुधर हेतु उन्मूलन कार्यक्रमों को सम्पादित करना एवं स्वास्थ्य शिक्षा उससे सम्बंधित अन्य कार्यक्रमों को सम्पादित करना. हैजा डायरिया कि रोकथाम करना.
5	निराश्रित, विकलांग, असहाय, जरूरतमंद लोगाें को कृत्रिम अंग प्रदान करना, सांस्कृतिक प्रोग्राम एवं कुष्ठ रोग निवारण करना, पीड़ित, प्रताड़ित, विधवा, परित्यक्ता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली, झुग्गी झोपड़ी वासी, पर्वतीय क्षेत्र की निवासी, गंदी बस्ती निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना व सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टाईपिंग , कम्पयूटर, ब्यूटी पार्लर, पेंटिंग हस्तशिल्प व व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं झूलाघर , आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, क्रेश , बाल विकास केन्द्र, शिशु रक्षा केन्द्र, बाल आश्रम, अनाथालय, बच्चाें को पोषण आहार की व्यवस्था करना, उनके कल्याणार्थ हेतु अन्य योजनायें क्रियान्वित करना

6	निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों , मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हुडको, महिला बाल विकास विभाग, कपार्ट, क्राई, सिप्सा, नाबार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, सिडबी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधि, महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड, श्रम मंत्रालय, राजीव गान्धी फाउण्डेशन , विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, संस्कृति विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, नेहरू युवा केन्द्र, श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर जनमानस के लिये कल्याणकारी कार्य करना। सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम व पोषण आहार कार्यक्रम का संचालन करना।

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंधक "शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है।
जिनके पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धंधा
1	राकेश गुप्ता	सांवलदास गुप्ता	अध्यक्ष	85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	व्यवसाय
2	मुकेश गुप्ता	राकेश गुप्ता	उपाध्यक्ष	85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	व्यवसाय
3	[illegible] गुप्ता	राकेश गुप्ता	सचिव	85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	व्यवसाय
4	अमन गुप्ता	राकेश गुप्ता	कोषाध्यक्ष	85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	व्यवसाय
5	दिव्या गुप्ता	राकेश गुप्ता	संयुक्त सचिव	85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	ग्रहकार्य
6	आनन्द गुप्ता	दुर्गाप्रसाद गुप्ता	सदस्य	104,गोविन्द आॅयल मिल,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	व्यवसाय
7	अरूण तिवारी	शिवनारायण तिवारी	सदस्य	85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	नौकरी
8	मनीष विन्दल	[illegible] विन्दल	सदस्य	202,जलमन्दिर के पास,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	नौकरी
9	शिवचरण बाथम	[illegible] बाथम	सदस्य	106,ग्राम बाँसखेडी,शिवपुरी .शिवपुरी ,Madhya Pradesh	खेती
10	आकाश गुप्ता	[illegible] कुमार गुप्ता	सदस्य	बी. 85,जवाहर नगर,गिर्द (ग्वालियर) ,ग्वालियर ,Madhya Pradesh	व्यवसाय

…के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण …नियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम … पते लिखे हैं, समिति का … उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

Serial_No	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	राकेश गुप्ता,… गुप्ता,85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
2	मुकेश गुप्ता … गुप्ता,85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
3	प्रतीक गुप्ता,राकेश गुप्ता,85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
4	अमन गुप्ता,… गुप्ता,85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
5	दिव्या गुप्ता … गुप्ता,85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
6	आनन्द गुप्ता,… गुप्ता,10… विन्द आर्थव मिल,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
7	अरुण तिवारी,शिवनारायण तिवारी,85,विवेकानन्द कालौनी,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
8	मनीष … ,20… के पास,शिवपुरी ,शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
9	… ,1… ग्राम बाँसखेड़ी,शिवपुरी शिवपुरी ,Madhya Pradesh	
10	… कुमार गुप्ता,डी. 85,जवाहर नगर,गिर्द (ग्वालियर) ,ग्वालियर	

[illegible] से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

चालान क्रमांक : SBIN00061591[illegible]09201499961

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये : Voters Identity Card

पहचान पत्र का क्रमांक : XLW04374[illegible]

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये : Voters Identity card

पते का क्रमांक : XLW0437[illegible]

साक्षी

हस्ताक्षर

Sieon

नाम:- श्री संजीव गर्ग पुत्र श्री राजीव गर्ग

पिता/पति का नाम:- -

पूर्ण पता :- 73 गांधी कालौनी शिवपुरी (म0प्र0)

TC

Manefy

(मंगला पुरनाम)

अधि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं

ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

हस्ताक्षर एवम पदनाम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं,डी-40 बसंत बिहार कालोनी, ग्वालियर (मप्र)

फोन-0751-2423600

नियमावली

1.	सोसाय ो का नाम सांवलदास गुप्ता शिक्षा समिति शिवपुरी होगा।
2.	सोसाय ो का कार ालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) 01 होटल वनस्थली ए.बी. रोड 473551 तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:
1	शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा हिंदी , उर्दू , फारसी ,अंग्रेजी, संस्कृति आदि, माध्यमो से क्षेत्रीय भाषा एवं, बोली में शिक्षा देने हेतु मदरसा , पूर्व , प्राथमिक, माध्यमिक , उच्चतर माध्यमिक विध्यालय , महाविध्यालय , कम्प्यूटर कोर्स कंप्यूटर सोफ्टवेयर , हार्डवेयर प्रशिक्षण एवं कॉलेज व संस्थान का संचालन करना . अल्पसंख्यको के लिए शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना . अल्पसंख्यक योजनाओ का प्रचार प्रसार करना. जन अभियान परिषद के अंतर्गत कार्यक्रमों का किर्यान्वयन करना. बेटी बचाओ अभियान एवं महिला उत्पीडन निवारण हेतु प्रयास. गरीब जरुरतमंद विधवा साधनहीन व अपाहिज की लड़की की शादी करवाना गरीव व साधनहीन मृतक के अंतिम संस्कार हेतु सहयोग करना.जन स्वास्थ्य हेतु कार्य करना गरीब जनता के लिए जन उपयोगी व्यवस्था करना. जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना. कुपोषण कार्यक्रम का संचालन करना.कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना. संस्कृत विद्यालय , वेद वेदांत विद्यालय ,संस्कृत कॉलेज खोलना सामूहिक विवाह सम्मलेन करना. रक्त दान शिविर आयोजित करना तथा रक्त दास के बारे में जागरूक करना.रंगभेद ,जातिवाद के उन्नमूलन के लिए कार्य करना.प्राकृतिक आपदा के समय जन कल्याण कार्य करना.
2	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश से एवं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सी. वी. एस. आई.सी. एस .ई. / शासन / विश्वविध्यालय से मान्यता प्राप्त कर विधालय, महाविधालय,शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डी.एड.,बी.एड.,एम.एड., डी.फार्मा.,बी.फार्मा., एम.फार्मा., फार्मा.डी.,पी.जी.डी.सी.ऐ.,डी.सी.ऐ.,एम .सी.ऐ.,बी.सी.ऐ. बी.बी.ऐ. एम.बी.ऐ.,आई.टी.आई एवं पोलिटेकनिकल एवं .,नर्सिंग कॉलेज ए.एन.एम.,जी.एन.एम.,पोस्ट.बेसिक नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग,एम.एस.सी.नर्सिंग, पेरामेडिकल कोर्स, तथा सभी पैथी के चिकित्सा महाविध्यालय , शिक्षा प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण,केन्द्रों का संचालन करना , कम्प्यूटर सॉफ्टवेर एवं हार्डवेयर प्रशिक्षण देना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स का संचालन करना, इंजिनीयरिंग टेक्निकल व टेक्नोलॉजी की उच्च शिक्षा हेतु इंजिनीयरिंग महाविध्यालय, का संचालन करना तथा विधि शिक्षा , व्यवसायिक उच्च शिक्षा , कॉलेज का संचालन करना , एलोपेथी आयुर्वेदिक,होम्योपेथी,प्राकर्तिक चिकित्सा,यूनानी चिकित्सा आदि कॉलेजो का संचालन करना, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अध्यन केन्द्रों का संचालन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमो का संचालनकरना . शोध संस्थानों का संचालन करना कोचिंग , इंस्टिट्यूट का करना. झूला घर का संचालन करना रेड क्रोस सोसाइटी का सहयोग करना संचालन तथा करियर काउंसिलिंग कार्यक्रम का संचालन करना. गौ शाला खोलना पशु चिकित्सालय का संचालन करना. राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं नेशनल ओपन स्कूल के शिक्षण केन्द्रों का संचालन
	सिलाई कड़ाई हेंडीक्राफ्ट पेंटिंग , दस्तकारी , बुनाई, टाइपिंग कम्प्यूटर कोर्स , संगीत एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना . महिलाओ के उत्थान हेतु जागरूकता शिविर प्रोड़ शिक्षा केंद्र एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण केंद्र तथा महिला प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना . शिशुओ के सर्वागीण विकास हेतु पालना घर , बाल मनोरंजन केंद्र बाल बाचनालय , शिशु गृह तथा अनाथ आश्रम का संचालन करना अंधे , लंगड़े , लूले

बहरे , मूक बधिर , शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगो व् नेत्रहीन शारीरिक रूप से
कमजोर निराश्रित अनाथ के लिए शिक्षण शिक्षण केंद्र , छात्रावास , संचालित करना व्
पंचायत एवं समाज सेवा के अंतर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना
3 तथा परामर्श केंद्र का संचालन करना . आर्ट ऑफ़ लिविंग के द्वारा जनमानस का कल्याण
करना, ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज की भावनायो के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिए कार्य
करना एवं ग्रामीण विकास हेतु पठन प्रशिक्षण,हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी
कार्यक्रमों का संचालन करना, परिवार नियोजन,फॅमिली प्लानिंग कार्यक्रम,बाल यौन
अनुपात कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम का संचालन तथा
एड्स,कैंसर,पोलियो,टी.बी.,हेपेटाईतिस पीलिया तथा माताओ एवं शिशुओ के स्वास्थ्य
कल्याण एवं टीकाकरण की जानकारी एवं नेत्र शिविर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन व
स्वास्थ्य शिक्षा यौन शिक्षा बालश्रम स्कूलों का संचालन करना, स्वास्थ्य केंद्र का संचालन
करना, डेंटल कैंप लगाना, आम जन को सहज भाव से कॉन्डम गर्भ निरोधक गोलिया
उपलब्ध कराना.नि शुल्क दवा वितरण करना स्तन कैंसर कि रोकथाम हेतु कार्यक्रम करना

पीड़ित प्रताड़ित विधवा निराश्रित विकलांग एवं जरूरतमंद तथा अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यक महिलाओ को तथा जरूरतमंद व् गरीबो को
रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना, नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना .परामर्श केंद्र खोलना एवं
वृद्धाश्रम संचालित करना,केयर यूनिट वो ड्रग्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं सलाह
देना व बढती हुई नशा प्रवर्ती की रोकधाम हेतु कार्य करना व समाज में व्याप्त बुरइयो को दूर
करने के लिए कलामंदी के माध्यम से सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनका
संचालन करना, हॉस्पिटल खोलना एवं उसका संचालन करना समाज के पिछड़े/
अ.जा./अ.ज .जा. के बालक/ बलिकायो एवं सामान्य जन के नेत्र शिविरों का संचालन करना
4 नेत्रदान करना स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना.वाचनालय एवं पुस्तकालय का
संचालन करना.हस्तशिल्प शिखाना तथा हथकरधा बुनाई केन्द्रों का संचालन करना. जन
कल्याण एवं मानव स्वास्थ्य सम्बंधित सभी पेथोलोगिकल जाचे एक्स रे ,अल्ट्रासाउंड
एम.आर.आई.,सिटी स्कैन,आदि की जाचे उपलब्ध कराना.गरीब असहाय लोगो को
चिकित्सीय परामर्श एवं दवा का प्रबंध कराना एवं सम्पूर्ण चिकित्सीय व्यवस्थाये
कराना.ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य सुधर हेतु उन्मूलन कार्यक्रमों को सम्पादित करना एवं
स्वास्थ्य शिक्षा उससे सम्बंधित अन्य कार्यक्रमों को सम्पादित करना. हैजा डायरिया कि
रोकथाम करना.

निराश्रित, विकलांग, असहाय, जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करना, सांस्कृतिक
प्रोग्राम एवं कुष्ठ रोग निवारण करना, पीडित, प्रताडित, विधवा, परित्यक्ता, गरीबी रेखा से
नीचे जीवन यापन करने वाली, झुग्गी झोपडी वासी, पर्वतीय क्षेत्र की निवासी, गंदी बस्ती
निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा
5 जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना व सिलाई, कढ़ाई,
बुनाई, टाईपिंग , कम्पयूटर, ब्यूटी पार्लर, पेंटिंग, हस्तशिल्प व व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं
झूलाघर , आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, क्रेश , बाल विकास केन्द्र, शिशु रक्षा केन्द्र, बाल आश्रम,
अनाथालय, बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था करना, उनके कल्याणार्थ हेतु अन्य
योजनायें क्रियान्वित करना

निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के
सम्बनिधत विभागों , मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हुडको,
महिला बाल विकास विभाग, कपार्ट, क्राई, सिप्सा, नाबार्ड, आवार्ड, नॉराड, इडा, सूडा,
सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण
निधि, महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, पर्यावरण
6 मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड, श्रम मंत्रालय, राजीव गान्धी फाउण्डेशन , विष्व

	स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी परिषद, संस्कृति विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, नेहरू युवा केन्द्र, श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर जनमानस के लिये कल्याणकारी कार्य करना। सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम व पोषण आहार कार्यक्रम का संचालन करना।
5.	सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगेः-
	(अ) संरक्षक सदस्यः- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 1000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 500 या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 500 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
	(स) साधारण सदस्य- जो व्यक्ति रूपये 20 माह रुपये 240 प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
	सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
6.	सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7.	सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो |
8.	सदस्यता की समाप्ति- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः- 1. मृत्यु हो जाने पर| 2. पागल हो जाने पर| 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर| 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर| 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगेः- 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर| 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	(अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस

पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -5

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन

	करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	सचिव(मंत्री) के अधिकार- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 5000 व्यय करने का अधिकार होगा।
18.	संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	बैंक खाता- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000 रहेंगे।
21.	पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23.	विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	विवाद- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष

(मंगला पुरकाम)
रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ
ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)